न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी– अतुल प्रकाश, I.A.S. (P.)

RCMS id : 1997 / 0003

प्रकरण संख्या : 185 / 14

घनश्याम आत्मज श्री किशनलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम मानसगांव, तहसील लाडपुरा, कोटा
(वादी)

बनाम

1. सूरजमल आत्मज श्रीलाल (मृतक) जरिये कायम मुकाम –
   1/1. गिर्राज पुत्र सूरजमल
   1/2. कमलेश पुत्र सूरजमल
   1/3. शंभू पुत्र सूरजमल
   1/4. बृजमोहन पुत्र सूरजमल
   1/5. छोटू पुत्र सूरजमल
   1/6. नन्दू बाई पुत्री सूरजमल
   1/7. मंजू बाई पुत्री सूरजमल
   1/8. छोटा बाई पुत्री सूरजमल
   जाति तेली, निवासीगण ग्राम घघटाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. मोडूलाल आत्मज गोपाल, जाति तेली, निवासी ग्राम घघटाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद बाबत घोषणा

उपस्थिति : श्री रमेशचन्द कुशवाह, वादी अभिभाषक
श्री असगर जमील, प्रतिवादी अभिभाषक

दिनांक : 24.02.2020

निर्णय

1. यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत बाबत घोषित करने खातेदार, न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।
2. वादी द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–
   - वादी ग्राम मानसगांव का निवासी है तथा ग्राम मानसगांव की आराजी खसरा नम्बर 107, 658 व 658/785 कुल किता 3 रकबा 2.86 हैक्टर का खातेदार कृषक है।
   - वादी की आराजी से अडी हुई खसरा नम्बर 107/765 रकबा 0.29 हैक्टर पर वादी का कब्जा है, जो वादी के पूर्वजों के समय से करीब 50 वर्षो से भी अधिक समय से चला आ रहा है।
   - प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ग्राम घघटाना के निवासी है तथा वादी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 107/765 को प्रतिवादी क्रम 3 ने प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के खाते दर्ज कर दिया है। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का उक्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है। उक्त आराजी वादी की Strip of Land (जमीन की पट्टी) है।

Scanned by CamScanner

- वादी के अधिपत्य वाली आराजी खसरा नम्बर 107/765 पर प्रतवादीगण दिनांक 30.07.1997 को आये और वादी की फसल का हटाने की धमकी देने लगे जबकि उक्त आराजी पर वादी काबिज काश्त है और वादी का एडवर्स पजेशन है।
- वाद कारण दिनांक 30.03.1997 को वादी की आराजी पर कब्जा करने तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को प्रतिवादी क्रम 3 द्वारा खातेदार कृषक घोषित कर दिये जाने से उत्पन्न हुआ है।
- वाद उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है तथा वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।
- अतः प्रार्थना है कि वादी को, ग्राम मानसगांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 107/765 का खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का नाम हटाया जावे।
- वादी द्वार अपने वादपत्र के कथन के समर्थन में ग्राम मानसगांव, तहसील लाडपुरा के निम्न राजस्व अभिलेख पेश किये गये है –

(i) प्रदर्श–1 : आराजी खसरा नम्बर 107, 658, 658/785 की नकल खसरा गिरदावरी संवत 2052.

(ii) प्रदर्श–2 : आराजी खसरा नम्बर 107, 658, 658/785 रकबा 2.86 हैक्टर की नकल जमाबन्दी संवत 2051–2054.

(iii) प्रदर्श–3 : विवादित आराजी खसरा नम्बर 107/765 रकबा 0.29 हैक्टर की नकल जमाबन्दी संवत 2051–2054.

3. प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि –
   - आराजी खसरा नम्बर 107 सम्पूर्ण वादी का नहीं है। इसके अलग अलग हिस्से पर अलग अलग व्यक्तियों का कब्जा है।
   - विवादित आराजी खसरा नम्बर 107/765 रकबा 0.29 हैक्टर पर वादी या उसके पूर्वजों का कभी कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है, जिसका इन्द्राज राजस्व अभिलेख में भी हो रहा है तथा प्रतिवादीगण वंश दर वंश 100 वर्षो से भी अधिक समय से इस आराजी पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी का उक्त आराजी से कभी किसी प्रकार का कब्जा नहीं रहा है। आराजी खसरा नम्बर 107/765 Strip of Land (जमीन की पट्टी) की परिभाषा में नहीं आती है। इस कारण वादी का कथन नितान्त असत्य व मिथ्या है।
   - वादी के अधिपत्य वाली किसी भी भूमि पर प्रतिवादीगण दिनांक 30.07.1997 को नहीं गये और ना ही फसल हटाने की धमकी दी गयी। विवादित आराजी पर वादी का कभी पजेशन नहीं रहा है तो एडवर्स पजेशन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उक्त प्रकरण एडवर्स पजेशन की परिभाषा में नहीं आता है।
   - प्रतिवादी क्रम–3 ने, प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को दिनांक 30.03.1997 को खातेदार घोषित नहीं किया है। वाद कारण में भी विरोधाभाष है। वादी दिनांक 30.07.1997 को आराजी पर आने की बात कहता है जबकि दिनांक 30.03.1997 को कब्जा करने की बात कहता है। इस कारण वादी को कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है। वाद कारण के अभाव में वादी का वाद चलने योग्य नहीं है।

Scanned by CamScanner

○ वादी के मन में दुर्भावना आ गयी है जो प्रतिवादीगण को उनके पूर्वजों के जमाने से 100 वर्षो से भी अधिक समय से चली आ रही उक्त 0.29 हैक्टर जमीन से ऐन केन प्रकारेण बेदखल कर कब्जा करना चाहता है। इसी कारण पूर्व में भी वादी ने माननीय न्यायालय में एक दावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र बमुकदमें घनश्याम बनाम सूरजमल का मुकदमा नम्बर 240/95 पेश किया था जो न्यायालय द्वारा दिनांक 17.08.1996 को खारिज कर दिया था। वादी द्वारा इसकी अपील करने पर उनके द्वारा भी वादी की अपील खारिज कर दी गई थी। इस प्रकार रेसज्यूडीकेटा से बाधित होने के कारण वाद चलने योग्य नहीं है। इस प्रकार वादी, माननीय न्यायालय को गुमराह करने कर प्रतिवादीगण की आराजी पर कब्जा करना चाहता है। अतः निवेदन है कि दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी के सेटलमेन्ट के समय के विवादित आराजी के आवंटन, जमाबन्दी तथा पूर्व वाद की फोटोप्रतियां पेश की गई है।

4. प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 107/765, वादी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 107 का ही भाग है। भू–प्रबन्ध कार्यवाही तथा कैचमेन्ट के दौरान विवादित खसरा नम्बर त्रुटिवश प्रतिवादी के खाते दर्ज कर दिया है, जिसका अनुचित लाभ लेकर प्रतिवादी, वादी के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करता है। वादी विगत 50 वर्षो से विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। अतः विवादित आराजी खसरा नम्बर 107/765 से प्रतिवादी का नाम हटाकर वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। वादी द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई है। प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रतिवादी, विवादित आराजी के अभिलिखित खातेदार है, विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण के पूर्वजों के समय से ही, विगत 100 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। वादी की प्रवृति रही है कि वो बार बार विभिन्न न्यायालयों में प्रतिवादी के विरूद्ध प्रकरण बनाकर पेश करता रहता है। अतः वाद वादी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

5. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण (Merits) के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। इसके आधार पर, प्रकरण मे कायम की गई तनकीयात निम्नानुसार तय की जाती है –

(i) : **आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 107/765 पर वादी काबिज रहा है और वादी का एडवर्स पजेशन रहा है ?**

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा वाद पत्र के साथ ग्राम मानसगांव के खसरा नम्बर 107, 658 एवं 658/785 की नकल जमाबन्दी संवत 2051–2054 तथा नकल खसरा गिरदावरी संवत 2052 पेश की गई है, जिसके अनुसार वादी, इन खसरा नम्बरान का अभिलिखित काश्तकार है। वादपत्र के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 107/765 को वादी अपने कब्जे काश्त में बताता है। प्रकरण में पेश खसरा गिरदावरी में विवादित खसरा नम्बर 107/765 उल्लेखित नहीं है। वादी द्वारा कब्जे के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश

Scanned by CamScanner

नहीं किया गया है। इससे वादी का विवादित आराजी पर कब्जे का कथन भ्रामक प्रतीत होता है।

वादी द्वारा विवादित आराजी पर एडवर्स पजेशन होना अंकित किया है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रतिकूल कब्जे (Adverse possession) का दावा करने वाले व्यक्ति को साबित करना होगा कि –

→ वह किस तारीख को कब्जे में आया,
→ उसके कब्जे की प्रकृति क्या थी,
→ क्या कब्जे का तथ्य दूसरे पक्ष को पता था,
→ कैसे लम्बे समय से उनका कब्जा जारी है,
→ उनका कब्जा खुला हुआ था और वह बेकार था।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी द्वारा विवादित आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य आदि पेश नहीं किये है और न ही कब्जा प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है। वादी द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 107/765 की नकल जमाबन्दी (प्रदर्श–3) पेश की गई है, जो विवादित आराजी को प्रतिवादी के खाते दर्ज होना प्रमाणित करती है। इस प्रकार वादी के कब्जे एवं एडवर्स पजेशन का कथन सिद्ध नहीं कर पाने के कारण यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

(ii) : **आया प्रतिवादी को खातेदार घोषित कर दिये जाने से वाद कारण उत्पन्न हुआ ?**

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। **इस प्रकार का कथन कहने वाले व्यक्ति को यह सिद्ध करना होगा कि विवादित आराजी पूर्व में वादी के खाते दर्ज थी और परिस्थितिवशः अब, प्रतिवादी के खाते दर्ज कर दी गई हो और प्रतिवादी के खातेदार घोषित हो जाने से वादी को वाद कारण उत्पन्न हुआ हो।** इस सम्बन्ध में वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया कि विवादित आराजी कभी उन्हें आवंटित हुई हो अथवा कभी उनके खाते दर्ज रही हो। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावा के बाद पेश की गई दस्तावेजों की फोटोप्रतियों के अनुसार विवादित आराजी आवंटन के आधार पर प्रतिवादी के खाते दर्ज है जो अब तक उन्हीं के खाते दर्ज चली आ रही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिवादी, वादी के किसी अधिकार का हनन करके खातेदार नहीं बना है बल्कि वह विधिसंगत तरीके स विवादित आराजी का खातेदार है। इस प्रकार वादी के किसी अधिकार का हनन नहीं होने पर भी प्रतिवादी के खातेदार घोषित हो जाने से वाद कारण उत्पन्न होने का कथन अप्रमाणित है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

(ii) : **आया रेसज्यूडीकेटा अनुसार वाद चलने योग्य नहीं है ?**

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी की ओर से पेश जवाब दावा में अंकित किया गया कि **"पूर्व में भी वादी ने माननीय न्यायालय में एक दावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र बमुकदमें घनश्याम बनाम सूरजमल का मुकदमा नम्बर 240/95 पेश किया था जो न्यायालय द्वारा दिनांक 17.08.1996 को खारिज कर दिया था। वादी द्वारा इसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी, कोटा में करने पर उनके द्वारा भी वादी की अपील खारिज कर दी गई थी। इस प्रकार रेसज्यूडीकेटा से बाधित होने के कारण वाद चलने योग्य नहीं है।"** *"one suit and one decision is enough*

Scanned by CamScanner

for any single dispute", के सिद्धान्त के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में पूर्व न्याय अर्थात रेसज्यूडीकेटा की परिकल्पना की गई है, जिसके अनुसार, समान पक्षकारों और विवाद के समान बिन्दु पर यदि कोई न्यायालय पूर्व में निर्णय दे चुका है, तब कालान्तर में उस निर्णय की अपील तो की जा सकती है परन्तु उन्हीं पक्षकारों अथवा उनके वारिसान के मध्य, विवाद के उसी बिन्दु पर पुनः उसी न्यायालय में नया दावा नहीं लाया जा सकता है। वादी की ओर से वर्ष 1995 इस न्यायालय में वर्तमान वाद के समान पक्षकारों (जीवित) के विरूद्ध ही दावा किया गया था, जो दिनांक 17.08.1996 को निर्णित हो चुका है तथा उसमें अनुतोष भी वही चाहा गया था जो वर्तमान वाद में चाहा गया है। इस प्रकार वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पूर्व न्याय (Res Judicata) के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण इसी न्यायालय में पुनः चलने योग्य नहीं है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

(iv) : **दादरसी ?**

प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी के निकट स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 107/765 पर वह अपना कब्जा बताता है, को लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर अपने खाते दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहता है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं दिये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। Suit for declaration on basis of adverse possession - Not maintainable, as plea of adverse possession is considered to be a defence. इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों के निम्नांकित गत निर्णयों का भी दृष्टान्त लिया जाना समीचीन होगा –

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नहीं लाया जा सकता है। (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)
4	धारा 88 के अन्तर्गत केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम धरमा 1988 आर.आर.डी. 364)

6. उपरोक्त सामस्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि राजस्व न्यायालय को लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान किये जाने के अधिकारों के अभाव में वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने तथा रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने ओर विवादित आराजी प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज होने के

Scanned by CamScanner

कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा प्रथक से जारी किया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

6. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24 फरवरी, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश) I.A.S. (P)
सहायक कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी – अतुल प्रकाश, I.A.S. (P.)

बउनवान :–

घनश्याम आत्मज श्री किशनलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम मानसगांव, तहसील लाडपुरा, कोटा

(वादी)

बनाम

1. सूरजमल आत्मज श्रीलाल (मृतक) जरिये कायम मुकाम –
1/1 – 1/5. गिर्राज, कमलेश, शंभू, बृजमोहन, छोटू पुत्रान स्व. सूरजमल
1/6 – 1/8. नन्दू बाई, मंजू बाई, छोटा बाई पुत्रियां स्व. सूरजमल
जाति तेली, निवासीगण ग्राम घघटाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. मोडूलाल आत्मज गोपाल, जाति तेली, निवासी ग्राम घघटाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88 RTA
मुकदमा नम्बर : 185 / 14
निर्णय दिनांक : 24-02-2020

RCMS id : 1997 / 0003

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री रमेशचन्द कुशवाह तथा प्रतिवादी अभिभाषक श्री असगर जमील की उपस्थिति में (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष बहस उपरान्त अन्तिम निपटारे के लिये आज तारीख 24–02–2020 को पेश होने पर 'राजस्व न्यायालय को लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान किये जाने के अधिकारों के अभाव में वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने तथा रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने ओर विवादित आराजी प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज होने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।' डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।
– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 24 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(अतुल प्रकाश) I.A.S. (P)
सहायक कलक्टर, कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		

Scanned by CamScanner